UPKS040075682026

न्यायालय सिविल जज सी0डि0 एफ.टी.सी., कौशाम्बी।

उपस्थितः अभिषेक त्रिपाठी–द्वितीय (U.P.3320)
प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–62/2026,

सरकार बनाम महेन्द्र कुमार ।
मु0अ0सं0–16/2026,
धारा–87, 64(1) बी0एन0एस0,,
थाना–पश्चिम शरीरा,
जिला–कौशाम्बी।

दिनांक– 21.05.2026

अभियुक्त महेन्द्र कुमार पुत्र श्रीपाल, निवासी कल्यानपुर मजरा, पूरब शरीरा, थाना पश्चिम शरीरा, जनपद कौशाम्बी की ओर से मु0अ0सं0–16/2026, धारा–87, 64(1) बी.एन.एस. थाना पश्चिम शरीरा, जनपद कौशाम्बी के अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त उपरोक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है रंजिशन झूठा मुकदमा उपरोक्त में फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्यानुसार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय है तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

सुना व समस्त सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर आरोप है कि अभियुक्त महेन्द्र कुमार ने वादी मुकदमा की लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ बलात्कार कारित करने का आक्षेप है। उक्त आक्षेपित अपराध अजमानतीय एवं मान्नीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा आजीवन कारावास तक दण्डनीय है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

:– आदेश –:

अभियुक्त महेन्द्र कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 21.05.2026

(अभिषेक त्रिपाठी–द्वितीय),
(U.P.3320)
सिविल जज (सी0डि0) एफ.टी.सी., ,
कौशाम्बी।

Digitally signed by Abhishek Tripahti
Date: 2026.05.23 15:19:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court